न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67 / 2022 राजस्व अपील

1. रामकिशन पुत्र श्री जयनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायपुरा ब्राह्मण उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकिशन मुकदमा संख्या 196 / 2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कसाना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 23.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का बावनपाडा ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के विरूद्व इस आशय की पेश की गई की ग्राम रायपुरा ब्राह्मण के आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 0.10 है. भूमि पर सम्वत 2078 में रबी की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 30 दिन के सिविल कारावास बेदखली व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है। पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट का पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्ट गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होने के कारण काश्त करने में सक्षम नहीं है तो अतिक्रमण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा ब्राह्मण तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 0.10 है. भूमि पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को 30 दिन के सिविल कारावास, बेदखली एवं पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपार्ट संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जा चुका है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलान्ट गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण काश्त करने में सक्षम नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थिगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा